कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन परिसर, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्कल, उदयपुर–313001
Email : dcfudaipur@gmail.com, Tele/Fax : 0294-2429239

क्रमांक–एफ( )तकनीकी / उवस / 2017 / 299 दिनांक– 18.1.17

निमित्त,

उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण)
उत्तर–पश्चिम रेल्वे,
उदयपुर।

विषय– Proposal for diversion of forest land in Udaipur District in Rajasthan state for the work of gauge conversion of Udaipur-Himmatnagar railway line.

प्रसंग– आपका पत्रांक–W-207/Const./UDZ/Land/Forest/474459014/02 Date 22-10-2016

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से आपके द्वारा उदयपुर–हिम्मतनगर रेल्वे लाईन के आमान परिवर्तन हेतु 34.4375 हैक्टर वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें 0.2519 हैक्टर वन मण्डल, उदयपुर (उत्तर) व 34.1856 हैक्टर इस वन मण्डल से संबंधित दर्शाया गया है।

उक्त प्रस्ताव मे दर्शाये गये क्षेत्र का निरीक्षण व परीक्षण सहायक वन संरक्षक, सलुम्बर द्वारा करवाया गया, जिस पर सहायक वन संरक्षक ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया है कि वनखण्ड–काबरी में दर्शाये 7.9453 हैक्टर वन क्षेत्र के स्थान पर 8.9453 हैक्टर क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। इस प्रकार यह प्रस्ताव 35.4375 हैक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन का बनता है। मैरे द्वारा भी दिनांक 11.1.2017 को उक्त प्रस्तावित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है। इस प्रस्ताव में आपके द्वारा 34.4375 हैक्टर का ही जिला कलक्टर, उदयपुर से वन अधिकार मान्यता अधिनियम के तहत निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

इस प्रस्ताव को पुनः संशोधित करने व जिला कलक्टर, उदयपुर का वन अधिकार मान्यता अधिनियम से संबंधित प्रमाण पत्र पुनः प्राप्त कर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। अतः मूल प्रस्ताव को पुनः लौटाया जाता है। आप अपने स्तर से उक्त प्रस्ताव को संशोधित कर पुनः पोर्टल पर ऑनलाईन करने की कार्यवाही अतिशीघ्र करें व प्रस्ताव को 7 प्रतियों में पुनः इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, जिससे की प्रत्यावर्तन से संबंधित इस कार्यालय की कार्यवाही पूर्ण कर उच्च कार्यालय को भिजवाया जाना संभव हो सके।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ओ.पी.शर्मा)
उप वन संरक्षक,
उदयपुर

क्रमांक–एफ( )तकनीकी / उवस / 2017 / दिनांक–

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नानुसार प्रेषित है–

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए.,राज0, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर।
3. जिला कलक्टर, उदयपुर।
4. सहायक वन संरक्षक, सलुम्बर।

उप वन संरक्षक,
उदयपुर